राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक- प.9(6)राज.-6/2000/13 जयपुर,दिनांक:- 30.01.2006

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

:: परिपत्र ::

विषय:-ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु अतिक्रमित सिवाय चक भूमि ग्राम पंचायतों को दिये जाने बाबत।

राज्य के विभिन्न जिलों की अधिकांश ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है कि पूर्व से ही गांव में आवास गृह बनाकर लोगों ने अतिक्रमण करके सिवाय चक भूमि का उपयोग कर लिया है। वर्तमान नियमों में आबादी प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,92 की धारा के अंतर्गत बिना कब्जे की सिवाय चक भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का प्रावधान है, जैसा कि राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 प. 6(42)राज/बी/58/1, दिनांक 20.4.61 में उल्लेखित है।

अत: ऐसी स्थिति में समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां आबादी हेतु जिस सिवाय चक भूमि का उपयोग दिनांक 1.1.95 से पूर्व मौके पर कर लिया गया है, उसे आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित कर दिया जावे ताकि ग्राम पंचायत नियमों के अंतर्गत नियमानुसार राशि लेकर आबादी के पट्टे जारी कर सके। इस प्रकार पट्टे मिल जाने पर गरीबों को इन्द्रा आवास व ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक- प. 2(379)राज/3/81, दि0 1.6.83 में आवासीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गावों की आबादी को ध्यान में रखते हुए सिवाय चक भूमि आरक्षण के मानदण्ड पूर्व में निर्धारित किये हुये है, के अनुसार ही आरक्षित करने की कार्यवाही की जावे।

आज्ञा से,

30.1.2006

(के0 जी0 अग्रवाल)
शासन उपसचिव,राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री महोदया/विशिष्टसहायक,मा0राजस्व मंत्री महोदय
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,राज0,जयपुर।
3. निबन्धक,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर।
4. राविरा,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर।
5. अतिरिक्त निबन्धक,राजस्व मण्डल(वित्त एवं लेखा),अजमेर।
6. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

30.1.2006

शासन उपसचिव,राजस्व